

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
प्रशासन-सौंसे के रूप में अभिगान 2021 कैम्प कुटाडिया

प्रकरण संख्या / 93/14

दिनांक :- 11. 11. 2021

उनवान

श्री श्रीलाल फुल नायक मीमा

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का कुटाडिया भू. अ. नि. कुटाडिया एवं नायक तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुसंधा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुटाडिया प. ह. कुटाडिया
की वर्तमान जगावन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 223 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि श्रीलाल फुल नायक मीमा
के स्थान पर श्रीलाल फुल नायक मीमा
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री श्रीलाल फुल नायक मीमा
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा